

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ~~राजपुर~~  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी :-

~~राजेश कुमार शर्मा~~

उनवान

बनाम

~~श्री गणेश~~

दावा बाबत

~~लाभ~~

मुकदमा नम्बर :-

155/2011

निर्णय दिनांक :-

कैम्प कोर्ट 16.06.2015

वादी की ओर से ~~लाभ~~

की व प्रतिवादी की ओर से ~~श्री गणेश~~

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16/06/15 को (नाम पीठासीन अधिकारी).....

[mi[k.M vf/kdkjh] ----- के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

वाद कही स्वीकार किया जाता है

दिनांक 06/05/15 के लिए स्पष्ट निवेदन जारी करते हुए प्रतिक्रिया  
पर वादी को ज्ञानि प्रकाशित करने दे उसे बेहतर नहीं करे  
वादी की फुल नोट नही और शूर बाइपलर कोर्ट का  
नही हथिये नही उक्त हथिये अपने गेजर परिजने 13/06/15  
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16/06/15 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

गई।

~~राजेश कुमार शर्मा~~  
(पदेन सहायक कलक्टर) राजपुर  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर,.....

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		जोड़
जोड़		